प्रेस नोट 24.08.2020

104 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद, 07 व्यक्ति गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री मनोज कुमार सोनकर के निर्देशन में अवैध शराब कारोबार/कारोबारियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 23.08.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **चिरैयाकोट** पुलिस द्वारा अरविन्द यादव पुत्र सामू यादव निवासी मोहिद्दीनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 10 लीटर, थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा कस्बा दोहरीघाट से वीरू यादव पुत्र शंकर सोनकर, मूकेश पुत्र शेषनाथ निवासीगण नवापुरा थाना दोहरीघाट दोनों के कब्जे से 10–10 लीटर, थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा मूमताज पुत्र सुलेमान निवासी पुरानापुरा थाना कोपागंज के कब्जे से 20 लीटर, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा जियुत पुत्र लल्लन निवासी कटधरा शंकर, बीरबल पुत्र विश्वनाथ निवासी सिकड़ीकोल दोनों के कब्जे से 20–20 लीटर, नीलम पत्नी जुगली निवासी बैरियडीह के कब्जे से 14 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना सम्बन्धित पर आबकरी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

एक शातिर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद–

दिनांक 23.08.20 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **घोसी** पुलिस द्वारा रघौली बाजार से विशाल कोहली पुत्र कल्पनाथ राम निवासी मेवाड़ीकला थाना हलधरपुर के कब्जे से एक नाजायज तमंचा व दो जिंदा कारतूस 303 बोर बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 684/20 धारा 3/25 आयुद्य अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त–

1. विशाल कोहली पुत्र कल्पनाथ राम निवासी मेवाड़ीकला थाना हलधरपुर मऊ।

बरामदगी–

1. एक नाजायज तमंचा व दो जिंदा कारतूस 303 बोर।

03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 24.08.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा चौहान चौक के पास से मु0अ0सं0 287/20 धारा 363,366 भादवि0 में वांछित अभियुक्त प्रेम कुमार पुत्र चन्द्रशेखर निवासी तारनपुर थाना दोहरीघाट, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा जामडीह के पास से मु0अ0सं0 511/20 धारा 363,366,376,504,506 भादवि0 में वांछित अभियुक्त सुल्तान पुत्र खुर्शिद निवासी बीबीपुर थाना मधुबन, थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा कैलेण्डर तिराहे के पास से मु0अ0सं0 573/20 धारा 363,366 भाादवि0 तथा 7/8 पोक्सों एक्ट में वांछित अभियुक्त इशान पुत्र अमिर खा निवासी करहा थाना मुहम्मदाबाद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 18 व्यक्ति गिरफ्तार–

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान शांति भंग की आशंका में थाना **चिरैयाकोट** पुलिस द्वारा काजू उर्फ राहुल, अनुज सिंह, सादिक, वसीम, नौसाद निवासीगण छपराचक बदरूद्दीन थाना चिरैयाकोट, थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा सच्चेलाल, जयनाथ, जोगी निवासीगण रतनपुरा, हरिकिसुन, धीरेन्द्र निवासीगण कन्सों थाना हलधरपुर, थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा समीम, असलम निवासीगण बांसा थाना कोपागंज, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा रमजान निवासी कोपागंज थाना कोपागंज, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा अच्छेलाल निवासी सिघांसन, संजय निवासी दलपापुर थाना मधुबन, थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा सुबेदार, रामाशंकर निवासी बरडीहा थाना मुहम्मदाबाद, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा रामविलास निवासी मुंगेसर थाना सरायलखंसी को अन्तर्गता धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

कोविड–19 संक्रमण के दृष्टिगत जनपद मऊ पुलिस की कार्यवाही–

कारोना महामारी के दृष्टिगत जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन हेतु चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान दिनांक 23.08.20 को सुबह 8 बजे से दिनांक 24.08.20 को सुबह 8 बजे तक जनपद के समस्त 351 बैरियर प्वाइंट (296 हाटस्पाट एरिया) पर चेकिंग के दौरान 30 व्यक्तियों के विरूद्ध 15 अभियोग पंजीकृत कर 19 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 1581 वाहनों को चेक किया गया जिसमें 89 वाहनों का चालान तथा 17 हजार रुपये शमन शुल्क वसूले गये।

साथ ही साथ मास्क न लगाने पर किये गये 168 चालान व वसूले गये 10 हजार 500 रुपये जुर्माना तथा लाकडाउन का उलंघन करने पर 56 चालान व वसूले गये 06 हजार 500 जुर्माना सहित कुल 34 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया। जनपद में भीड़–भाड़ वाले जगहों, बैंको, बाजारों व महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आस–पास सोशल डिस्टेंशिंग का अनुपालन कराया जा रहा है।